रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-263/2024/555/22-2-2024-17(238)/2024
लखनऊ : दिनांक: 11 नवम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018,दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 व 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत महिला दिवस (08 मार्च, 2024) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लिटिल उर्फ नवीन उर्फ बच्चा पाण्डेय (बंदी संख्या-149/2014) पुत्र श्री अशोक पाण्डेय, निवासी-कठिनई, थाना-पड़री, जनपद-मिर्जापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-384/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायधीश सं-08, वाराणसी के आदेश दिनांक 08.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2024 तक 16 वर्ष 07 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-263/2024/555(1)/22-2-2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मिर्जापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, जनपद-मिर्जापुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को हैबियस कार्पस रिट याचिका सं0-549/2024 शालू उर्फ मंजीत व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in